न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी- श्रीमती पार्वती, आरएएस

प्रकरण संख्या : 66 A / 21 GCMS Id : 2021 / 178

मुरारीलाल पुत्र श्रीकृष्ण, जाति अहीर, निवासी [illegible], तहसील दीगोद, जिला कोटा हाल निवासी विवेकानन्द नगर, कोटा – (वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, कोटा – (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित : श्री नरेन्द्र नन्दवाना, वादी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 17.04.2023

1. वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरुस्ती न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–
   - ग्राम कादीहेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में वादी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 513, 514 रकबा 2.35 हैक्टर स्थित है जिसमें वादी का नाम बनवारी दर्ज है।
   - प्रतिवादी के कर्मचारियों ने वादी के नाम नामान्तरकरण दर्ज करते समय, घर पर बोलते नाम बनवारीलाल के नाम से नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जबकि आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, अंकतालिका आदि में वादी का वास्तविक नाम मुरारीलाल है।
   - वादी को सरकारी योजनाओं का लाभ तथा भूमि सुधार हेतु किसान क्रेडिट कार्ड व उसके के लाभ लेने से वंचित हो रहा है।
   - वाद में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादी को जमाबन्दी में अपना नाम दुरुस्त कराने का कानूनन अधिकार है इसलिये वादी का नाम दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।
   - वादी ने अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु प्रतिवादी से दिनांक 25.07.2021 को निवेदन करने पर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया जिस कारण यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।
   - अतः वाद पेश कर निवेदन है कि ग्राम कादीहेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 513, 514 कुल किता 2 रकबा 2.35 हैक्टर में वादी का नाम बनवारी के स्थान पर मुरारीलाल दर्ज किये जाने और राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।
   - वादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये गये –

(1) विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी संवत 2073–2076

(2) वादी के आधार कार्ड की फोटोप्रति

Parv
17.4.23

(3) वादी की सैकेण्डरी स्कूल की अंकतालिका वर्ष 1979
(4) ग्राम पंचायत भाण्डाहेडा का नाम सम्बन्धी प्रमाण पत्र
(5) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा का निर्णय दिनांक 12.04.2021
(6) उपखण्ड अधिकारी, दीगोद की आदेशिका की फोटोप्रति
(7) उपखण्ड अधिकारी, दीगोद में पेश दावे की फोटोप्रति
(8) उपखण्ड अधिकारी, दीगोद में पेश शपथ पत्र की फोटोप्रतियॉ

3. प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया –

- ग्राम कादीहेडा की जमाबन्दी खाता संख्या 70 में खसरा नम्बर 513/2.23, 514/0.12 किता 2/2.35 हैक्टर बनवारी पुत्र श्रीकृष्ण, जाति अहीर, सा. टहेला के खाते दर्ज है।
- वादी ने सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 346 11–17 भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की थी जिसमें बनवारीलाल पुत्र श्रीकृष्ण, जाति अहीर, सा. टहला के नाम से ही क्रय गई है इसलिये उक्त नाम मुताबिक विक्रय पत्र दर्ज किया गया है। अतः उक्त खाते में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में अंकित नाम का ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया नाम दर्ज करते समय किसी भी प्रकार की त्रृटि नहीं हुई।
- वादी द्वारा पेश आधार कार्ड में मुरारीलाल नाम दर्ज है जो वादी स्वयं द्वारा बनाया गया है।
- राजस्व कर्मचारियों द्वारा नाम दर्ज करते समय मुरारीलाल के स्थान पर बनवारीलाल दर्ज नहीं किया गया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में बनवारीलाल ही नाम दर्ज था। राजस्व कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की गलती नहीं की गई है।
- नियमानुसार वाद से पूर्व 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक था, जो नहीं दिया गया है।
- उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही पंजीकृत दस्तावेज व आदेशानुसार की गई है। प्रस्तुत वाद दस्तावेज के आधार पर पेश नहीं किया गया है। जो खारिज फरमाने योग्य है। अतः वांद सव्यय खारिज किया जावे।
- प्रतिवादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये गये –

(1) हल्का पटवारी ग्राम जाखोडा की मूल रिपोर्ट
(2) विवादित आराजी का नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038–2057
(3) विवादित आराजी का खसरा पत्रक की फोटोप्रति
(4) विक्रय पत्र की फोटोप्रति

4. दौराने वाद प्रकरण के दावे व जवाब दावे के तुलनात्मक विवेचन के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये –

1) आया वादी का वास्तविक नाम मुरारीलाल है। (वादी)
2) आया विवादित आराजी बनवारीलाल पुत्र श्रीकृष्ण के नाम से ही क्रय की गई है। (प्रतिवादी)
3) अनुतोष ?

5. वादी अभिभाषक ने अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम कादीहेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में वादी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 513, 514 रकबा 2.35 हैक्टर स्थित है जिसमें वादी का नाम बनवारी दर्ज है। प्रतिवादी के कर्मचारियों ने वादी के नाम नामान्तरकरण दर्ज करते समय, घर पर बोलते नाम बनवारीलाल के नाम से नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जबकि आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, अंकतालिका आदि में वादी का वास्तविक नाम मुरारीलाल है। वादी को सरकारी योजनाओं का लाभ तथा भूमि सुधार हेतु किसान क्रेडिट कार्ड व उसके के लाभ लेने से वंचित हो रहा है। तहसील दीगोद में भी वादी के खाते की भूमि स्थित थी तथा उसमें भी वादी का नाम बनवारी ही अंकित था। तब वादी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद,

17.4.23

जिला कोटा में भी नाम संशोधन हेतु दावा पेश किया था जिसमें आदेश हो चुका है जिसके प्रमाण स्वरूप इस दावे में भी उक्त आदेश की प्रति भी पेश की है। वादी ने अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु प्रतिवादी से निवेदन करने पर भी उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया। अतः निवेदन है कि ग्राम कादीहेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 513, 514 कुल किता 2 रकबा 2.35 हैक्टर में वादी का नाम बनवारी के स्थान पर मुरारीलाल दर्ज किये जाने और राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

6. हमने वादी अभिभाषक की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन तथा प्रकरण में कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय किये गये –

1) आया वादी का वास्तविक नाम मुरारीलाल है। (वादी)

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था।
- वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में पेश किये गये आधार कार्ड व सैकेण्डरी स्कूल की अंकतालिका वर्ष 1979 में वादी का नाम मुरारीलाल पुत्र श्रीकृष्ण अंकित है।
- वादी की ओर से ग्राम पंचायत भाण्डाहेडा, पंचायत समिति सुल्तानपुर, जिला कोटा का प्रमाण पत्र दिनांक 26.08.2020 पेश किया है जिसमें बनवारीलाल पुत्र श्रीकृष्ण एवं मुरारीलाल पुत्र श्रीकृष्ण, जाति अहीर (यादव), निवासी ग्राम टहला, तहसील दीगोद, जिला कोटा एक ही व्यक्ति के नाम होना प्रमाणित किया गया है।
- वादी की ओर से पेश किये गये उपखण्ड अधिकारी, दीगोद, जिला कोटा के निर्णय दिनांक 144/2020 दिनांक 12.04.2021 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील दीगोद की विवादित आराजी में भी वादी का नाम बनवारीलाल ही दर्ज था। उक्त आराजी के अन्य सहखातेदारान के शपथ पत्रों के आधार पर वादी के नाम की इन्द्राज दुरूस्ती की जा चुकी है।
- इस प्रकार वादी की ओर से पेश दस्तावेजों व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद, जिला कोटा के निर्णय के अवलोकनानुसार वादी का नाम मुरारीलाल होना प्रकट हो रहा है।
- अतः यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

2) आया विवादित आराजी बनवारीलाल पुत्र श्रीकृष्ण के नाम से ही क्रय की गई है। (प्रतिवादी)

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था।
- प्रतिवादी की ओर से पेश जवाब दावा में अंकित किया कि सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 346 रकबा 11 बीधा 17 बिस्वा भूमि बनवारीलाल पुत्र श्रीकृष्ण, जाति अहीर, सा. टेहला के नाम से क्रय की गई थी।
- रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में अंकित क्रेता के नाम का ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है। राजस्व कर्मचारियों ने नाम दर्ज करते समय मुरारीलाल के स्थान पर बनवारीलाल दर्ज नहीं किया गया है तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है।
- इस प्रकार स्पष्ट है कि पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में क्रेता का नाम अंकित किये जाने के कारण दस्तावेजी साक्ष्य होने से यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

3) अनुतोष ?

- वादी की ओर से पेश दावे में राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम की शुद्धि करते हुये ग्राम कादीहेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 513, 514 कुल

Pul
17-4-23

किता 2 रकबा 2.35 हैक्टर में खातेदार के नाम की दुरुस्ती करते हुये राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में वादी का नाम बनवारीलाल पुत्र श्रीकिशन के स्थान पर मुरारीलाल पुत्र श्रीकिशन दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

- प्रतिवादी की ओर से पेश जवाब दावा में पंजीकृत विक्रय पत्र में अंकित क्रेता के नाम का ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के कारण राजस्व कर्मचारियों की कोई त्रुटि नहीं होना मानते हुये वादी का दावा खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

7. प्रकरण में कायम की गई तनकीयात के उपरोक्तानुसार किये गये विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम कादीहेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 513, 514 कुल किता 2 रकबा 2.35 हैक्टर बनवारीलाल पुत्र श्रीकिशन, जाति अहीर, निवासी टेला के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी की ओर से उक्त नाम की इन्द्राज दुरुस्ती करते हुये राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बनवारीलाल पुत्र श्रीकिशन के स्थान पर मुरारीलाल पुत्र श्रीकिशन दर्ज किये जाने हेतु दावा पेश किया है जबकि प्रतिवादी ने पंजीकृत विक्रय पत्र में अंकित क्रेता के नाम का ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के कारण राजस्व कर्मचारियों की कोई त्रुटि नहीं होना बताया है। वादी की ओर से पेश दस्तावेजात में उसकी अंकतालिका, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र व राशन कार्ड में वादी का नाम मुरारीलाल पुत्र श्री किशन ही दर्ज है। इसके अतिरिक्त वादी की ओर से पेश किये गये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद के निर्णय दिनांक 12.04.2021 में वादी का नाम मुरारीलाल होने की पुष्टि की गई है। उपरोक्त समस्त विवेचानानुसार वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम कादीहेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 513, 514 कुल किता 2 रकबा 2.35 हैक्टर में इन्द्राज दुरुस्ती करते हुये खातेदार बनवारीलाल पुत्र श्रीकृष्ण के स्थान पर बनवारीलाल उर्फ मुरारीलाल पुत्र श्रीकृष्ण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 17.04.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पार्थवी)
सहायक कलेक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – पार्थवी, R.A.S.

बउनवान :–

मुरारीलाल पुत्र श्रीकृष्ण, जाति अहीर, निवासी टहला, तहसील दीगोद, जिला कोटा हाल निवासी विवेकानन्द नगर, कोटा

– (वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, कोटा

– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89 RTA
मुकदमा नम्बर : 66A / 21
निर्णय दिनांक : 17-04-2023

(GCMS id : 2021 / 178)

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री नरेन्द्र नन्दवाना की उपस्थिति में (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी पार्थवी, आर.ए.एस. के समक्ष बहस उपरान्त अन्तिम निपटारे के लिये आज तारीख 17–04–2023 को पेश होने पर वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम कादीहेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 513, 514 कुल किता 2 रकबा 2.35 हैक्टर में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुये खातेदार बनवारीलाल पुत्र श्रीकृष्ण के स्थान पर बनवारीलाल उर्फ मुरारीलाल पुत्र श्रीकृष्ण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 17 अप्रेल, 2023 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		